भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 50
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: किसान संगठनों की मांगें

*50. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने वर्ष 2021 में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने और कृषि संकट जारी रहने का हवाला देते हुए नए सिरे से राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन को शुरू करने की घोषणा की है;

(ख) क्या सरकार ने किसान संगठनों की इन चिंताओं का आकलन किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऐसे समझौते सहित इन प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौतों से भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर कासरगोड सहित केरल में ऐसे किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है;

(ग) क्या किसान संघों ने कृषि आय और ग्रामीण रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का हवाला देते हुए विद्युत क्षेत्र के निजीकरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को कमजोर करने और श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्तावित उपायों का विरोध किया है;

(घ) क्या राज्यों के लिए अधिक हिस्सेदारी सहित संघीय राजकोषीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की मांगों की जांच की गई है; और

(ङ) किसानों के साथ विश्वास बहाल करने, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, घरेलू कृषि को बचाने और बड़े पैमाने पर नए सिरे से हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'किसान संघ संगठनों की मांगों' के संदर्भ में लोक सभा में दिनांक 3 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 50 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क): किसान-हितैषी, कृषि-उन्मुख और संवेदनशील सरकार होने के कारण, किसानों से संबंधित मुद्दों को उनकी सामाजिक-आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से और शीघ्रता से संबोधित किया जाता है। वर्ष 2021 में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के पश्चात, सरकार ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के साथ दो चरणों में सात दौर की बैठकें आयोजित कीं। पहली बैठक 8 फरवरी, 2024 को हुई थी। इसके बाद, दिनांक 12, 15, 18 फरवरी, 2024, दिनांक 14, 22 फरवरी, 2025 और दिनांक 19 मार्च, 2025 को बैठकें हुईं। नियमित संवाद के माध्यम से, अधिकांश मुद्दों, जैसे कि बिजली संशोधन विधेयक से संबंधित मुद्दे; मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना; पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत जल, वन और भूमि से संबंधित जनजातीय समुदायों के अधिकार; नकली/खराब बीज, उर्वरक और कीटनाशियों के निर्माण के लिए कठोर दंड; और धान की पराली जलाने से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों का युक्तिकरण आदि का समाधान किया गया है।

(ख): भारत कृषि उत्पादों का निवल निर्यातक है। सरकार भारतीय कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और लघु एवं सीमांत किसानों के हितों की सावधानीपूर्वक रक्षा करने के पश्चात ही मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए बातचीत करती है। कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अच्छी प्रतिस्पर्धा देने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं।

(ग) और (घ): ग्रामीण रोजगार और कृषि आय से संबंधित किसानों के संघ की समस्याओं को नए अधिनियमित विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत चिह्नित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत, ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को प्रत्येक वित्त वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और यदि उन्हें कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। कृषि कार्यों के लिए श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को चरम मौसमों में बुआई और फसलों की कटाई के दौरान 60 दिनों तक मजदूरी पर आधारित रोजगार में विराम लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, संघीय सिद्धांतों और विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के साथ परामर्श करके ग्रामीण रोजगार और आजीविका कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका को बढ़ाने के उपायों की नियमित समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्यों में वृद्धि, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण मानदंड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), ब्याज अनुदान, बिना गारंटी के ऋण सीमा में वृद्धि, केसीसी संतृप्ति अभियान और ग्रामीण वित्तीय संस्थानों का सुदृढ़ीकरण जैसे उपायों के माध्यम से समय पर और किफायती ऋण सुनिश्चित करने पर बल दिया है।

(ङ): किसानों में विश्वास को बहाल करने और दृढ़ता लाने के लिए, सरकार विकसित कृषि संकल्प अभियान, इंटरैक्टिव फील्ड विजिट और किसान संगठनों के साथ बैठकों जैसी पहलों के माध्यम से किसानों के साथ नियमित रूप से जुड़ रही है।

लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का 1.5 गुना निर्धारित किया गया है और साथ ही रिकॉर्ड स्तर पर खरीद की जा रही है। फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत तुअर, उड़द और मसूर तथा कपास मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एनएएफईडी) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से कपास की खरीद कर रही है।

सरकार किसानों की बाजार तक पहुंच और आय प्राप्ति में सुधार के लिए 10,000 किसान संगठनों के गठन और प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय क्षेत्रीय योजना भी क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी योजनाओं के अंतर्गत फसलोपरांत और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है ताकि किसानों को अपनी उपज को मजबूरी में न बेचना पड़े। किसानों को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) नामक एक डिजिटल मूल्य निर्धारण मंच क्रियान्वित किया जा रहा है।
